# कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

**विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001**

फोन न0 (0135) – 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724


संख्याः 2091 /XXV–12(11)/2018 देहरादून : दिनांक 19 नवम्बर, 2021

सेवा में,

श्री राजकुमार (एडवोकेट),
संयोजक–संविधान बचाओ ट्रस्ट,
चैम्बर नं0–365 जिला एवं सत्र न्यायालय कैम्पस,
उ0प्र0 पिन कोड–247001,
ईमेल–samvidhanbachaotrust@gmail.com

**विषयः–** **सूचना के अधिकार के अनतर्गत प्रस्तुत प्रथम अपील पर सुनवाई के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपने अपीलीय पत्र दिनांक 02 नवम्बर 2021 जो इस कार्यालय में दिनांक 12 नवम्बर 2021 को प्राप्त हुआ है का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी के पत्र संख्या–1719 दिनांक 08 अक्टूबर 2021 द्वारा आपके अनुरोध पत्र दिनांक 01–10–2021 में अंकित 8 बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना उक्त पत्र में उल्लिखित अन्य लोक सूचना अधिकारियों को हस्तान्तरित किया गया है, तथा जो सूचनायें कार्यालय में धारित थी उनकी प्रति लोक सूचना अधिकारी के पत्र संख्या–1755 दिनांक 13 अक्टूबर 2021 द्वारा आपकों भी प्रेषित की गयी हैं,। आपने अपने उक्त अपीलीय पत्र में उल्लेख किया है कि आपको कि आप लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना अप्राप्त हैं। उक्त सूचना के साथ आपको उक्तानुसार प्रेषित की जा रही है।

2– सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उक्त अपील पर सुनवाई हेतु दिनांक **29 नवम्बर 2021 की तिथि समय– 11:00 बजे पूर्वान्ह** निर्धारित की गयी है।

3– मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्र संख्या–2913 दिनांक 04–06–2020 द्वारा विभागीय प्रथम अपीलों का निस्तारण कोविड–19 के संक्रमण, महामारी के दृष्टिगत जनहित तथा कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हित में सुनवाई ऑडियो/वीडियो कॉल के माध्यम से या लिखित अभिकथन के आधार पर किये जाने के निर्देश हैं।

4– इस कार्यालय द्वारा **https://meet.google.com/ptu-bnea-uvf** लिंक के माध्यम से सुनवाई की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि उक्त नियत दिनांक व समय पर Google Meet (**https://meet.google.com/ptu-bnea-uvf**) /मोबाईल कॉल के माध्यम से सुनवाई में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। कृपया सम्पर्क हेतु अपना मोबाईल नम्बर/ नम्बर /E-Mail आईडी उक्त निर्धारित तिथि से पूर्व इस कार्यालय को ईमेल– election09@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही यह भी अनुरोध करना है कि यदि आप सहमत हों तो उक्त नियत तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में दूरभाष से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपीलीय अधिकारी से सम्बन्धित मोबाईल नम्बर–9897995591 है।

**संलग्नक– यथोपरि।**

भवदीय,

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

**पृ0संख्या–2091/XXV–12(11)/2018 तददिनांकित।**

प्रतिलिपि अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह निर्धारित तिथि व समय पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

# कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़

**विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001**

Email id-ceo uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) 2713551

election09@gmail.com फोन न0 (0135) 2713552


संख्या–1755/xxv–12(11)/2021 देहरादून : दिनांक ~~सितम्बर~~ 13 अक्टूबर, 2021

स्पीड पोस्ट

**सेवा में,**

श्री राजकुमार (एडवोकेट),
संयोजक– संविधान बचाओ ट्रस्ट,
चैम्बर नं0–365 जिला एवं सत्र न्यायालय कैम्पस,
उ0प्र0 पिन कोड–247001,
Email- samvidanbachaotrust@gmail.com

विषय– **सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपका अनुरोध पत्र दिनांक 01–10–2021 जो इस कार्यालय मे दिनांक 06.10.2021 को प्राप्त हुआ है में मांगी गयी वांछित बिन्दुओं से सम्बन्धित कार्यालय में धारित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही हैं–

| बिन्दु संख्या– | सूचना का विवरण |
|---|---|
| बिन्दु–3, | भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–52/2/Prep/2019/EMS दिनांक 2 जनवरी 2020 कुल पृष्ठ–3 (तीन)<br>लोक सभा निर्वाचन–2019 में सीलों पर व्यय भुगतान के देयक की प्रति (कुल 6(छः) पृष्ठों में) |
| बिन्दु–6 | लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के नियमों की प्रति पष्ठ सं0–41,42, 73, 74 एवं 75 (कुल 05 (पांच पृष्ठ) |
| बिन्दु संख्या–1 से 8 तक | समस्त विन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्य लोक सूचना अधिकारियों को इस कार्यालय के पत्र संख्या–1719 दिनांक 08 अक्टूबर 2021 द्वारा हस्तान्तरित किया गया है, जिसकी प्रति अनुरोधकर्ता को भी उपलब्ध करायी गयी है। |

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

**अपीलीय अधिकारी का पता–**

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून– 248001,

भवदीय,

B. S. Rawat

**(बसन्त सिंह रावत)**
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

By Speed Post

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

**SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA**

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001.

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

No. 52/2/Prep/2019/EMS

Dated: 2nd January, 2020.

To

The Chief Electoral Officers of
All States & Union Territories.

Sub: Intimation of revised Selling Rates for the F.Y. 2019-20-Regarding.

Sir,

I am directed to forward herewith the copy of letter, dated 10th April, 2019, received from the India Security Press, on the subject cited, for your information and further necessary action.

Yours faithfully,

(Lata Tripathi)
Under Secretary

Addl. C.E.O

(सौजन्या)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड
7-1-2020

Jt. C.E.O

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून
10-1-2020

A.C.E.O

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड
13-1-2020

S.O(D)

14/1/2020
ACEO

कार्य ARO

14/1/2020

विउप-3

S.No. 11 (R2

India Security Press,
(A UNIT OF SECURITY PRINTING & MINTING CORPORATION OF INDIA LTD.)WHOLLY OWNED BY GOVERNMENT OF INDIA
Nashik Road-422101 (Maharashtra)
(ISO-9001:2008 & 14001:2004 Certified Company)
Miniratna Category-I, CPSE
Tel. No: +91-253-2402200;Fax No: +91-253-2462718, 2466389
e-mail: secprint_nsk@sancharnet.in
Web: http://ispnasik.spmcil.com
CIN:U22213DL2006GOI144763

SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

Ref. No. C.S.D.23-Bill/MISC/24 BY REGD. POST Date: 10-04-2019

3555

आयोग / Election Commission of India
प्राप्ति व निर्गम अनुभाग
R&I SECTION
15 APR 2019
प्राप्ति / RECEIVED
नई दिल्ली / New Delhi-110001

The Under Secretary,
Election Commission of India,
Nirvachan Sadan, Ashoka Road,
NEW DELHI – 110 001 (Delhi).

Sub.: Intimation of revised Selling Rates for the F.Y. 2019-2020 – reg.

I am directed to inform that the selling rates of Election materials for the financial year 2019-2020 as mentioned in Annexure is enclosed herewith.

Our bank details are given below for remittance of our bills.

Bank Details
Name : INDIA SECURITY PRESS (A UNIT OF SPMCIL)
A/c No : 04560350000049
IFSC Code : HDFC0000456
Bank Name : HDFC BANK LTD, BYTCO POINT, NASHIK.
Type of Account : Current

If remittance made in the above account payment details may please be sent by post or e-mail or fax.

It is also informed that as per the Government of India Ministry of Finance (Department of Revenue) Central Board of Indirect Taxes and Customs Notification No.73/2018 – Central Tax (Copy enclosed) not to deduct the G.S.T. while making payments.

Please acknowledge receipt of the same.

Yours faithfully,

(P.M. JADHAV)
SR. SUPERVISOR (S&D)

Encl.:- As above.

विरुद्ध संख्या -3

(13)

INDIA SECURITY PRESS : NASIK ROAD

(A Unit of Security Printing & Minting Corporation of India Ltd.)

Selling Rates for the Year 2019-20

| Sr. No. | Particulars | Unit of Measure | Selling Rate for F.Y. 2019-20 |
|---|---|---|---|
| 1 | Blue Paper Seals | Per No. | 3.50 |
| 2 | Green Paper Seals | Per No. | 3.50 |
| 3 | Pink Paper Seals for EVM (B.U.) | Per No. | 11.00 |
| 4 | Pink Paper Seals for EVM (C.U.) | Per No. | 11.00 |
| 5 | Outer Paper Strip Seals for EVM (C.U.) | Per No. | 15.00 |
| 6 | Outer Paper Strip Seals for State Election Commission | Per No. | 15.00 |
| 7 | Common Address Tag (BU/CU/VVPAT) | Per No. | 11.00 |
| 8 | Dummy Blue Paper Selas | Per No. | 3.50 |
| 9 | Blue Paper Seals for State Jharkhand/Haryana | Per No. | 8.00 |
| 10 | Dummy Green Paper Seals for Ballot Boxes | Per No. | 46.00 |
| 11 | Dummy Pink Paper Seals for EVM W/o Number (B.U.) | Per No. | 11.00 |
| 12 | Dummy Pink Paper Seals for EVM W/o Number (C.U.) | Per No. | 11.00 |
| 13 | Outer Paper Strip Seal for C.U. W/o Numbering for EVM | Per No. | 15.00 |
| 14 | Dummy Paper Strip Seals for State | Per No. | 15.00 |
| 15 | Common Dummy Address Tag (BU) | Per No. | 11.00 |
| 16 | Dummy Address Tag (CU) | Per No. | 11.00 |
| 17 | Address Tag For CU After Counting Over | Per No. | 11.00 |
| 18 | Pink Paper Seal for Kerala & Haryana | Per No. | 14.00 |

( P.M. JADHAV)
SR. SUPERVISOR (S&D)

India Security Press, विउ६ सं० - 3
(A UNIT OF SECURITY PRINTING & MINTING CORPORATION OF INDIA LTD.)WHOLLY OWNED BY GOVERNMENT OF INDIA
Nashik Road-422101 (Maharashtra)
(ISO-9001:2008 & 14001:2004 Certified Company)
Miniratna Category-I, CPSE
Tel.No:+91-253-2402200;Fax No:+91-253-2462718,2466389
e-mail:csdisp@spmcil.com Web:http://ispnasik.spmcil.com
CIN: U22213DL2006GOI144763 GSTIN: 27AAJCS6111J2Z7

SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

# Tax Invoice / Bill

**Bill to**
GSTIN:
The Joint Chief Electoral Officer, Govt. of Uttarakhand,
Secretariat Compound, 4 - Subhash Road,

DEHRADUN 248001
Uttarakhand

**Shipping Address**
The Joint Chief Electoral Officer,
Govt. of Uttarakhand,
Secretariat Compound,
4 - Subhash Road,

DEHRADUN 248001
Uttarakhand
Date of Supply : 03.08.2018
Place of Supply :ISPN / NASHIK / Maharashtra
Mode/Wagon no: By SpeedPost Insured/

**Invoice / Bill Information**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Invoice / Bill No/Date | 2211801421/ 03.08.2018 | Delivery Challan No./Date | 811017790/ 03.08.2018 |
| Order No./Date | 11003473/ 16.05.2018 | Reference No./Date | 2018-19 940/XXV-14/2/ |
| Customer | 10006437 [redacted] | Invoice Amount | 515009.00 |
| Ship To Party | 10006437 | FI Doc No. | 90181369 |

**Invoice/Bill Details**

| Item No. | Material/Description | HSN Number | Quantity/ Unit | Price | Price Unit | Amount (in Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000031 | FGMI000025 Pink Paper Seals for EVM<br>For Ballot Unit | 49111090 | 45000 EA | 10.00 INR | 1 EA | 450,000.00 |
| | IN: Integrated GST | | | 12.00 % | | |
| | EPP/Speed Charges: | | | | | 55,179.54 |
| Sub Total: | | | | | | 9,829.46 |
| Total GST: | | | | | | 450,000.00 |
| Invoice Amount (in Rs.) | | | | | | 55,179.54 |
| Invoice Amount in Words: | RUPEES FIVE LAKH FIFTEEN THOUSAND NINE ONLY | | | | | 515,009.00 |

सामग्री प्राप्त की गई 50

1. If the amount of the bill is not paid within three months, interest @12% will be charged.
2. Certified that particulars given above are True & Correct for India Security Press.
3. Payment can also be made through NEFT/RTGS, details of which are Annexed here with:

देयक पारित ₹ 515009=00

**ACCOUNT HOLDER NAME:** GENERAL MANAGER INDIA SECURITY PRESS (A unit of Security Printing & Minting Corporation of India Ltd.)
**BRANCH CODE**: 456
**ACCOUNT NUMBER**: 4560350000049
**MICCR CODE:** 422240003
**IFSC/NEFT/RTGS CODE:** HDFC0000456
**Pan No.:**AAJCS6111J

Verified
(डी. पी. डंगवाल)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

(मस्तू दास / Mastu Das)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
Assistant Chief Electoral Officer
उत्तराखण्ड Uttarakhand

(निखिल राय)
(NIKHIL RAI)
अधिकारी (वित्त एवं लेखा)
OFFICER (FINANCE & ACCOUNTS)
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय : नासिक रोड
INDIA SECURITY PRESS : NASIK ROAD

विदे-सं० 3

India Security Press,
(A UNIT OF SECURITY PRINTING & MINTING CORPORATION OF INDIA LTD.)WHOLLY OWNED BY GOVERNMENT OF INDIA
Nashik Road-422101 (Maharashtra)
(ISO-9001:2008 & 14001:2004 Certified Company)
Miniratna Category-I, CPSE
Tel.No:+91-253-2402200;Fax No:+91-253-2462718,2466389
e-mail:csdisp@spmcil.com Web:http://ispnasik.spmcil.com
CIN: U22213DL2006GOI144763 GSTIN: 27AAJCS6111J2Z7

SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

# Tax Invoice / Bill

**Bill to**
GSTIN:
The Joint Chief Electoral Officer, Govt. of Uttarakhand,
Secretariat Compound, 4 - Subhash Road,

DEHRADUN 248001
Uttarakhand

**Shipping Address**
The Joint Chief Electoral Officer,
Govt. of Uttarakhand,
Secretariat Compound,
4 - Subhash Road,

DEHRADUN 248001
Uttarakhand
Date of Supply : 03.08.2018
Place of Supply :ISPN / NASHIK / Maharashtra
Mode/Wagon no: By SpeedPost Insured/

**Invoice / Bill Information**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Invoice / Bill No/Date | 2211801421/ 03.08.2018 | Delivery Challan No./Date | 811017790/ 03.08.2018 |
| Order No./Date | 11003473/ 16.05.2018 | Reference No./Date | 2018-19 940/XXV-14/2/ |
| Customer | 10006437 | Invoice Amount | 515009.00 |
| Ship To Party | 10006437 | FI Doc No. | 90181369 |

**Invoice/Bill Details**

| Item No. | Material/Description | HSN Number | Quantity/ Unit | Price | Price Unit | Amount (in Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000031 | FGMI000025 Pink Paper Seals for EVM<br>For Ballot Unit | 49111090 | 45000 EA | 10.00 INR | 1 EA | 450,000.00 |
| | IN: Integrated GST | | | 12.00 % | | 55,179.54 |
| | EPP/Speed Charges: | | | | | 9,829.46 |
| Sub Total: | | | | | | 450,000.00 |
| Total GST: | | | | | | 55,179.54 |
| **Invoice Amount (in Rs.)** | | | | | | 515,009.00 |
| **Invoice Amount in Words:** | RUPEES FIVE LAKH FIFTEEN THOUSAND NINE ONLY | | | | | |

1. If the amount of the bill is not paid within three months, interest @12% will be charged.
2. Certified that particulars given above are True & Correct for India Security Press.
3. Payment can also be made through NEFT/RTGS, details of which are Annexed here with:

**ACCOUNT HOLDER NAME:** GENERAL MANAGER INDIA SECURITY PRESS (A Unit of Security Printing & Minting Corporation of India Ltd.)
**BRANCH CODE**: 456
**ACCOUNT NUMBER**: 4560350000049
**MICCR CODE:** 422240003
**IFSC/NEFT/RTGS CODE**: HDFC0000456
**Pan No.:**AAJCS6111J

Verified

(डी. पी. डंगवाल)
अनुभाग अधिकारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

(मस्तू दास Mastu Das)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
Assistant Chief Electoral Officer
उत्तराखण्ड Uttarakhand

(निखिल राय)
(NIKHIL RAI)
अधिकारी (वित्त एवं लेखा)
OFFICER (FINANCE & ACCOUNTS)
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय : नासिक रोड
INDIA SECURITY PRESS : NASIK ROAD

बिन्दु सं०-3

**India Security Press,**
**(A UNIT OF SECURITY PRINTING & MINTING CORPORATION OF INDIA LTD.)WHOLLY OWNED BY GOVERNMENT OF INDIA**
**Nashik Road-422101 (Maharashtra)**
**(ISO-9001:2008 & 14001:2004 Certified Company)**
**Miniratna Category-I, CPSE**
**Tel.No:+91-253-2402200;Fax No:+91-253-2462718,2466389**
**e-mail:csdisp@spmcil.com Web:http://ispnasik.spmcil.com**
**CIN: U22213DL2006GOI144763 GSTIN: 27AAJCS6111J2Z7**

SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

# Tax Invoice / Bill

**Bill to**
GSTIN:
The Joint Chief Electoral Officer, Govt. of Uttarakhand,
Secretariat Compound, 4 - Subhash Road,

DEHRADUN 248001
Uttarakhand

**Shipping Address**
The Joint Chief Electoral Officer,
Govt. of Uttarakhand,
Secretariat Compound,
4 - Subhash Road,

DEHRADUN 248001
Uttarakhand
Date of Supply : 13.08.2018
Place of Supply :ISPN / NASHIK / Maharashtra
Mode/Wagon no: By SpeedPost Insured

verified
(डी. पी. डंगवाल)
अनुभाग अधिकारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

**Invoice / Bill Information**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Invoice / Bill No/Date | 2211801551/ 13.08.2018 | Delivery Challan No./Date | 811017908/ 13.08.2018 |
| Order No./Date | 11003633/ 12.08.2018 | Reference No./Date | 2018-19 457-58/XXV-1/ |
| Customer | 10006437 | Invoice Amount | 1162649.00 |
| Ship To Party | 10006437 | FI Doc No. | 90181658 |

**Invoice/Bill Details**

| Item No. | Material/Description | HSN Number | Quantity/ Unit | Price | Price Unit | Amount (in Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000011 | FGZZ000053 Green Paper Seals for Ballot Boxes | 49111090 | 60000 EA | 3.00 INR | 1 EA | 180,000.00 |
| | IN: Integrated GST | | | 12.00 % | | 21,982.86 |
| 000021 | FGZZ000055 Outer Paper Strip Seals for CU of EVM | 49111090 | 60000 EA | 14.00 INR | 1 EA | 840,000.00 |
| | IN: Integrated GST | | | 12.00 % | | 102,586.68 |
| | EPP/Speed Charges: | | | | | 18,079.46 |
| Sub Total: | | | | | | 1,020,000.00 |
| Total GST: | | | | | | 124,569.54 |
| **Invoice Amount (in Rs.)** | | | | | | 1,162,649.00 |
| **Invoice Amount in Words:** | RUPEES ELEVEN LAKH SIXTY TWO THOUSAND SIX HUNDRED FORTY NINE ONLY | | | | | |

सामग्री स्टॉक पंजिका के पृष्ठ सं० 64 पर दर्ज है।

1. If the amount of the bill is not paid within three months, interest @12% will be charged.
2. Certified that particulars given above are True & Correct for India Security Press.
3. Payment can also be made through NEFT/RTGS, details of which are Annexed here with:

**ACCOUNT HOLDER NAME:** GENERAL MANAGER INDIA SECURITY PRESS (A unit of Security Printing & Minting Corporation of India Ltd.)
**BRANCH CODE:** 456
**ACCOUNT NUMBER:** 4560350000049
**MICCR CODE:** 422240003
**IFSC/NEFT/RTGS CODE:** HDFC0000456
**Pan No.:**AAJCS6111J

भुगतान हेतु पारित रु 1162649.00 (रु ग्यारह लाख बासठ हजार छ: सौ उनचास) मात्र

(मस्तु दास) Mastu Das)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
Assistant Chief Electoral Officer
उत्तराखण्ड Uttarakhand

**(निखिल राय)**
**(NIKHIL RAI)**
**अधिकारी (वित्त एवं लेखा)**
**OFFICER (FINANCE & ACCOUNTS)**
**भारत प्रतिभूति मुद्रणालय : नासिक रोड**
**INDIA SECURITY PRESS : NASIK ROAD**

विन्दु सं०-3

India Security Press,
(A UNIT OF SECURITY PRINTING & MINTING CORPORATION OF INDIA LTD.)WHOLLY OWNED BY GOVERNMENT OF INDIA
Nashik Road-422101 (Maharashtra)
(ISO-9001:2008 & 14001:2004 Certified Company)
Miniratna Category-I, CPSE
Tel.No:+91-253-2402200;Fax No:+91-253-2462718,2466389
e-mail:csdisp@spmcil.com Web:http://ispnasik.spmcil.com
CIN: U22213DL2006GOI144763 GSTIN: 27AAJCS6111J2Z7

SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

# Tax Invoice / Bill

**Bill to**
GSTIN:
The Joint Chief Electoral Officer, Govt. of Uttarakhand,
Secretariat Compound, 4 - Subhash Road,

DEHRADUN 248001
Uttarakhand

**Shipping Address**
The Joint Chief Electoral Officer,
Govt. of Uttarakhand,
Secretariat Compound,
4 - Subhash Road,

DEHRADUN 248001
Uttarakhand
Date of Supply : 13.08.2018
Place of Supply :ISPN / NASHIK / Maharashtra
Mode/Wagon no: By SpeedPost Insured/

Verified
(डी. पी. डंगवाल)
अनुभाग अधिकारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

**Invoice / Bill Information**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Invoice / Bill No/Date | 2211801551/ 13.08.2018 | Delivery Challan No./Date | 811017908/ 13.08.2018 |
| Order No./Date | 11003633/ 12.08.2018 | Reference No./Date | 2018-19 457-58/XXV-1/ |
| Customer | 10006437 | Invoice Amount | 1162649.00 |
| Ship To Party | 10006437 | FI Doc No. | 90181658 |

**Invoice/Bill Details**

| Item No. | Material/Description | HSN Number | Quantity/ Unit | Price | Price Unit | Amount (in Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000011 | FGZZ000053 Green Paper Seals for Ballot Boxes | 49111090 | 60000 EA | 3.00 INR | 1 EA | 180,000.00 |
| | IN: Integrated GST | | | 12.00 % | | 21,982.86 |
| 000021 | FGZZ000055 Outer Paper Strip Seals for CU of EVM | 49111090 | 60000 EA | 14.00 INR | 1 EA | 840,000.00 |
| | IN: Integrated GST | | | 12.00 % | | 102,586.68 |
| | EPP/Speed Charges: | | | | | 18,079.46 |
| Sub Total: | | | | | | 1,020,000.00 |
| Total GST: | | | | | | 124,569.54 |
| **Invoice Amount (in Rs.)** | | | | | | 1,162,649.00 |
| **Invoice Amount in Words:** | RUPEES ELEVEN LAKH SIXTY TWO THOUSAND SIX HUNDRED FORTY NINE ONLY | | | | | |

सामग्री स्टाक पंजिका के पृष्ठ सं० 64 पर दर्ज है।

1. If the amount of the bill is not paid within three months, interest @12% will be charged.
2. Certified that particulars given above are True & Correct for India Security Press.
3. Payment can also be made through NEFT/RTGS, details of which are Annexed here with:

**ACCOUNT HOLDER NAME:** GENERAL MANAGER INDIA SECURITY PRESS (A unit of Security Printing & Minting Corporation of India Ltd.)
**BRANCH CODE:** 456
**ACCOUNT NUMBER:** 4560350000049
**MICCR CODE:** 422240003
**IFSC/NEFT/RTGS CODE:** HDFC0000456
**Pan No.:**AAJCS6111J

(मस्तु दास Mastu Das)
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी
Chief Electoral Office
उत्तराखण्ड Uttarakhand

(निखिल राय)
(NIKHIL RAI)
अधिकारी (वित्त एवं लेखा)
OFFICER (FINANCE & ACCOUNTS)
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय : नासिक रोड
INDIA SECURITY PRESS : NASIK ROAD

India Security Press, विद्रु स० 3
(A UNIT OF SECURITY PRINTING & MINTING CORPORATION OF INDIA LTD.)WHOLLY OWNED BY GOVERNMENT OF INDIA
Nashik Road-422101 (Maharashtra)
(ISO-9001:2008 & 14001:2004 Certified Company)
Miniratna Category-I, CPSE
Tel.No:+91-253-2402200;Fax No:+91-253-2462718,2466389
e-mail:csdisp@spmcil.com Web:http://ispnasik.spmcil.com
CIN: U22213DL2006GOI144763 GSTIN: 27AAJCS6111J2Z7

SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

# DELIVERY CHALLAN

**Shipping Address**
GSTIN:
The Joint Chief Electoral Officer,
Govt. of Uttarakhand,
Secretariat Compound, 4 - Subhash Road,
DEHRADUN 248001
Uttarakhand

**Shipping Information** 13 AUG 2018

| | |
|---|---|
| Delivery No./Date | 811017908 / |
| PO/Indent | 2018-19 457-58/XXV-14(2)/2018 |
| Sales Order | 11003633 / 12.08.2018 |
| Customer Number | 10006437 |
| Mode of Dispatch | / Speed post Regd. |
| No.of Packages | 16 cs |

(S.S. SHINGRAM)
Supervisor (Sales & Distribution)
पर्यवेक्षक (बिक्री एवं वितरण)

**Conditions**
Shipping As Per indent/Order
Delivery DDU NASHIK

**Weight / No of Bags**
Total weight 0.000
Net weight 0.000

**General Information**
Please receive the following items in good condition and return the duplicate copy duly signed.

**Shipping Details**

| Item No | Material /Description | HSN no. | Quantity | Face Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FGZZ000053/Green Paper Seals for Ballot Boxes | 49111090 | 60000 EA | 0.00 |
| | IN THE NEW DESIGN 2004-ISSUE. NOS.33AA-529001 - 33AA-589000 | | | |
| 2 | FGZZ000055/Outer Paper Strip Seals for CU of EVM | 49111090 | 60000 EA | 0.00 |
| | NOS.AM-067001 - AM-127000 | | | |
| **Total Face Value:** | | | | 0.00 |

**Face Value in Words:** RUPEES NIL ONLY

18079.46 16 C/S Regd. POSTAGE Rs 20249/

**Remarks:**

ACKNOWLEDGEMENT

I certify that the material(s) delivered above have been duly checked on receipt in accordance with the rules. I have satisfied myself as to their correctness and I hereby acknowledge receipt of the material(s) amounting in face value to Rs:...........................
(In Words):

Name of Consignee

Name of Forwarding Authority
Date:

Signature
Supervisor (Despatch)
Consignee Signature

वि-3 सं० -3

SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

India Security Press,
(A UNIT OF SECURITY PRINTING & MINTING CORPORATION OF INDIA LTD.)WHOLLY OWNED BY GOVERNMENT OF INDIA
Nashik Road-422101 (Maharashtra)
(ISO-9001:2008 & 14001:2004 Certified Company)
Miniratna Category-I, CPSE
Tel.No:+91-253-2402200;Fax No:+91-253-2462718,2466389
e-mail:csdisp@spmcil.com Web:http://ispnasik.spmcil.com
CIN: U22213DL2006GOI144763 GSTIN: 27AAJCS6111J2Z7

# DELIVERY CHALLAN

3 AUG 2018

**Shipping Address**
**GSTIN:**
The Joint Chief Electoral Officer,
Govt. of Uttarakhand,
Secretariat Compound, 4 - Subhash Road,
DEHRADUN 248001
Uttarakhand

**Shipping Information**

| | |
|---|---|
| Delivery No./Date | 811017790 / |
| PO/Indent | 2018-19 940/XXV-14/2018 |
| Sales Order | 11003473 / 16.05.2018 |
| Customer Number | 10006437 |
| Mode of Dispatch | By SpeedPost Insured / |
| No.of Packages | 05 - ds |

(D. S. SHALIGRAM)
Supervisor (Sales & Distribution)
पर्यवेक्षक (बिक्री एवं वितरण)

**Conditions**

| | |
|---|---|
| Shipping | As Per Indent/Order |
| Delivery | DDU NASHIK |

**Weight / No of Bags**

| | |
|---|---|
| Total weight | 0.000 |
| Net weight | 0.000 |

**General Information**
Please receive the following items in good condition and return the duplicate copy duly signed.

**Shipping Details**

| Item No | Material /Description | HSN no. | Quantity | Face Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FGMI000025/Pink Paper Seals for EVM | 49111090 | 45000 EA | 0.00 |
| | SR. NOS. H-847001 - H-892000 | | | |
| | EVM Unit For Ballot Unit | | | |
| **Total Face Value:** | | | | 0.00 |
| **Face Value in Words:** RUPEES NIL ONLY | | | | |
| **Remarks:** | | | | |

05 C/S Parcel
POSTAGE
Rs 11009/-
9827.46

ACKNOWLEDGEMENT
I certify that the material(s) delivered above have been duly checked on receipt in accordance with the rules. I have satisfied myself as to their correctness and I hereby acknowledge receipt of the material(s) amounting in face value to Rs:..........................
(In Words):

Name of Consignee — Signature

Name of Forwarding Authority — Counter Signature
Date:

निर्वाचन-क्षेत्र को किए जाने के लिए और ऐसे अन्य आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों के लिए, जैसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे, उपबंध उस आदेश में अन्तर्विष्ट हो सकेंगे ।]

**13. निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करने वाले आदेशों के बारे में प्रक्रिया---**[1]* * * * *

(3) [2]*** धारा 11 या धारा 12 के अधीन किया गया हर आदेश अपने किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संसद् के समक्ष रखा जाएगा और ऐसे उपान्तरों के अध्यधीन रहेगा जैसे संसद् उस तारीख से, जिसको आदेश ऐसा रखा गया है, बीस दिन के भीतर किए गए प्रस्ताव पर करे ।

[3][भाग 2क

## आफिसर

**13क. मुख्य निर्वाचन आफिसर--** (1) हर एक राज्य के लिए एक मुख्य निर्वाचन आफिसर होगा जो सरकार का ऐसा आफिसर होगा जैसा निर्वाचन आयोग उस सरकार के परामर्श से इस निमित्त पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करे ।

(2) निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य निर्वाचन आफिसर राज्य में इस अधिनियम के अधीन वाली सब निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण करेगा ।

[4][**13कक. जिला निर्वाचन आफिसर--** (1) [5]*** किसी राज्य में हर एक जिले के लिए निर्वाचन आयोग, उस राज्य की सरकार के परामर्श से एक जिला निर्वाचन आफिसर को पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करेगा, जो सरकारी आफिसर होगा :

परंतु निर्वाचन आयोग किसी जिले के लिए एक से अधिक ऐसे आफिसर पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट कर सकेगा । यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि पद के कृत्यों का एक आफिसर द्वारा समाधानप्रद रूप में पालन नहीं किया जा सकता ।

(2) जहां कि किसी जिले के लिए उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन एक से अधिक जिला निर्वाचन आफिसर पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट किए जाते हैं, वहां निर्वाचन आयोग जिला निर्वाचन आफिसरों को पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करने वाले आदेश में उस क्षेत्र को भी विनिर्दिष्ट करेगा जिसकी बाबत हर एक ऐसा आफिसर अधिकारिता का प्रयोग करेगा ।

(3) मुख्य निर्वाचन आफिसर के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए जिला निर्वाचन आफिसर उस जिले में या अपनी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र में उस जिले के भीतर के सब संसदीय, सभा और परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचन नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण से संसक्त सब काम का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा ।

(4) जिला निर्वाचन आफिसर ऐसे अन्य कृत्यों का भी पालन करेगा, जैसे उसे निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आफिसर द्वारा न्यस्त किए जाएं ।

**13ख. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर--** (1) [6][[7][ जम्मू-कश्मीर राज्य में या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में, जिसमें विधान सभा नहीं है,] हर एक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र, हर एक सभा निर्वाचन-क्षेत्र] और हर एक परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा तैयार और पुनरीक्षित की जाएगी जो सरकार का या किसी स्थानीय प्राधिकारी का वह आफिसर होगा जिसे निर्वाचन आयोग, उस राज्य की सरकार के, जिसके राज्य में वह निर्वाचन-क्षेत्र स्थित है, परामर्श से, इस निमित्त पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करे ।

---

1. 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 8 द्वारा उपधारा (1) और उपधारा (2) का लोप किया गया ।
2. 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 8 द्वारा "धारा 6, धारा 9," शब्दों और अंकों का लोप किया गया ।
3. 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 9 द्वारा अंतःस्थापित ।
4. 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 5 द्वारा (14-12-1966 से) अंतःस्थापित ।
5. 2004 के अधिनियम सं0 2 की धारा 2 द्वारा "संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न" शब्दों का लोप किया गया ।
6. 1956 के अधिनियम सं0 103 की धारा 65 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 6 द्वारा (14-12-1966 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर किन्हीं विहित निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए ऐसे व्यक्तियों को निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली तैयार और पुनरीक्षित करने के लिए नियोजित कर सकेगा जैसे वह ठीक समझे ।

**13ग. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर--** (1) निर्वाचन आयोग निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के अपने कृत्यों का पालन करने में उस आफिसर की सहायता करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के रूप में नियुक्त कर सकेगा ।

(2) हर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के सब या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम होगा ।]

[1][**13गग. मुख्य निर्वाचन आफिसरों, जिला निर्वाचन आफिसरों, आदि का निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझा जाना--** इस भाग में निर्दिष्ट और सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि करने, और ऐसे निर्वाचनों का संचालन करने के संबंध में नियोजित कोई अन्य आफिसर या कर्मचारिवृन्द, उस अवधि में जिसके दौरान उन्हें इस प्रकार नियोजित किया जाता है, निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे और ऐसे आफिसर और कर्मचारिवृन्द, उस अवधि के दौरान, निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अध्यधीन होंगे।]

### भाग 2ख

## संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां

[2][**13घ. संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां--** (1) जम्मू-कश्मीर राज्य में के या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में के, जिसमें विधान सभा नहीं है, संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से भिन्न हर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली उतने सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों से मिलकर गठित होगी जितने उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में समाविष्ट हैं और ऐसे किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली पृथक्तः तैयार या पुनरीक्षित करना आवश्यक न होगा :

परन्तु अनुच्छेद 371क के खंड (2) में निर्दिष्ट कालावधि के लिए नागालैंड के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के उस भाग के लिए जो ट्यूनसांग जिले में समाविष्ट है, निर्वाचक नामावली पृथक्तः तैयार और पुनरीक्षित करना आवश्यक होगा तथा भाग 3 के उपबंध उक्त भाग की निर्वाचक नामावली की तैयारी और पुनरीक्षण के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे सभा निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में लागू होते हैं ।

(2) भाग 3 के उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य में के या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में के, जिसमें विधान सभा नहीं है, हर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे सभा निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में लागू होते हैं ।]

### भाग 3

## [3][[4]*** निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलियां]

[5][**14. परिभाषाएं--** इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,---

(क) "निर्वाचन-क्षेत्र" से सभा निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है; [4]***

(ख) "अर्हता की तारीख" से इस भाग के अधीन हर निर्वाचक नामावली की तैयारी या पुनरीक्षण के संबंध में उस वर्ष की [6][जनवरी का पहला दिन] अभिप्रेत है जिस वर्ष में वह इस प्रकार तैयार या पुनरीक्षित की जाती है :]

---

1. 1989 के अधिनियम सं0 1 की धारा 2 द्वारा (15-3-1989 से) अंतःस्थापित ।
2. 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 7 द्वारा (14-12-1966 से) धारा 13घ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 10 द्वारा "संसदीय निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण" शीर्षक के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1956 के अधिनियम सं0 103 की धारा 65 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
5. 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 11 द्वारा धारा 14 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 5 द्वारा (1-1-1959 से) "मार्च के प्रथम दिन" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

विद० सं०-6



**16. राज्य विधान परिषद् के द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए अधिसूचना**----राज्य की विधान परिषद् के उन सदस्यों के स्थानों को भरने के प्रयोजन के लिए, जो अपनी पदावधि के अवसान के पश्चात् निवृत्त हो रहे हैं, राज्यपाल [1]*** ऐसी तारीख या तारीखों को, जिनकी सिफारिश निर्वाचन आयोग द्वारा की जाए, राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित एक या अधिक अधिसूचनाओं द्वारा राज्य की विधान सभा के सदस्यों से और संपृक्त सब परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों से अपेक्षा करेगा कि वे इस अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार सदस्य निर्वाचित करें :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी अधिसूचना उस तारीख से तीन मास से अधिक पूर्व न निकाली जाएगी जिस तारीख को निवृत्त होने वाले सदस्यों की पदावधि का अवसान होना है ।]

## भाग 4

## निर्वाचनों के संचालन के लिए प्रशासनिक मशीनरी

**19. परिभाषा**--इस भाग में और 5 में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "निर्वाचन क्षेत्र" से [2]*** संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र या सभा निर्वाचन-क्षेत्र या परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है ।

[3][**19क. निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन**---संविधान के, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) के और इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन, निर्वाचन आयोग के कृत्यों का, उपनिर्वाचन आयुक्त द्वारा या निर्वाचन आयोग के सचिव द्वारा भी ऐसे साधारण या विशेष निदेशों के अध्यधीन, यदि कोई हों, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त दिए जाएं, पालन किया जा सकेगा ।]

[4][**20. मुख्य निर्वाचन आफिसरों के साधारण कर्तव्य**---निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए हर एक राज्य का मुख्य निर्वाचन आफिसर उस राज्य में इस अधिनियम के अधीन के सब निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा ।

[5][**20क. जिला निर्वाचन आफिसर के साधारण कर्तव्य**---(1) मुख्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, जिला निर्वाचन आफिसर उस जिले में या अपनी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र में संसद् और राज्य के विधान-मण्डल के सब निर्वाचनों के संचालन के संसद् में सब काम का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा ।

(2) जिला निर्वाचन आफिसर ऐसे अन्य कृत्यों का भी पालन करेगा जो उसे निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आफिसर द्वारा न्यस्त किए जाएं ।]

[6][**20ख. प्रेक्षक**--(1) निर्वाचन आयोग, एक प्रेक्षक का, जो सरकार का अधिकारी होगा, किसी निर्वाचन-क्षेत्र या निर्वाचन-क्षेत्रों के समूह में निर्वाचन या निर्वाचनों के संचालन की निगरानी करने के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए जो निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे जाएं, नामनिर्देशन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन नामनिर्देशित प्रेक्षक को उस निर्वाचन-क्षेत्र के या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों में से किसी के, जिसके लिए उसे नामनिर्देशित किया गया है, रिटर्निंग आफिसर को परिणाम की घोषणा के पूर्व किसी भी समय मतों की गणना रोक देने या परिणाम को घोषित न करने के लिए निदेश देने की शक्ति होगी, यदि प्रेक्षक की राय में बहुत से मतदान केन्द्रों में अथवा मतदान के लिए नियत स्थानों में या मतों की गणना के लिए नियत स्थानों में बूथों का बलात् ग्रहण किया गया है या किसी मतदान केन्द्र में या मतदान के लिए नियत किसी स्थान में प्रयुक्त किन्हीं मतपत्रों को रिटर्निंग आफिसर की अभिरक्षा में से विधिविरुद्धतया निकाल लिया गया है या घटनावश या साशय विनष्ट कर दिया गया है या खो दिया गया है या उस सीमा तक उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है या उनमें गड़बड़ की गई है कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है ।

(3) जहां किसी प्रेक्षक ने इस धारा के अधीन रिटर्निंग आफिसर को मतों की गणना रोकने या परिणाम की घोषणा न करने का निदेश दिया गया है, वहां प्रेक्षक, उस मामले की रिपोर्ट तुरन्त निर्वाचन आयोग को करेगा और ऐसा होने पर निर्वाचन आयोग, सभी तात्त्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, धारा 58क या धारा 64क या धारा 66 के अधीन समुचित निर्देश देगा ।

---

[1] [illegible] अनुकूलन (सं0 2) आदेश, 1956 द्वारा "या राज्यपाल, यथास्थिति," शब्दों का लोप किया गया ।
[2] [illegible] के अधिनियम सं0 103 की धारा 66 द्वारा कतिपय शब्दों को लोप किया गया ।
[3] [illegible] के अधिनियम सं0 47 की धारा 21 द्वारा (14-12-1966 से) अन्तःस्थापित ।
[4] [illegible] के अधिनियम सं0 27 की धारा 9 द्वारा धारा 20 और धारा 21 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] [illegible] के अधिनियम सं0 47 की धारा 22 द्वारा (14-12-1966 से) अन्तःस्थापित ।
[6] [illegible] के अधिनियम सं0 21 की धारा 4 द्वारा (1-8-1996 से) अन्तःस्थापित ।

**स्पष्टीकरण**---उपधारा (2) और उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए, "प्रेक्षक" के अन्तर्गत प्रादेशिक आयुक्त या निर्वाचन आयोग का कोई ऐसा अधिकारी है जिसे आयोग द्वारा इस धारा के अधीन किसी निर्वाचन-क्षेत्र में या निर्वाचन-क्षेत्रों के समूह में निर्वाचन या निर्वाचनों के संचालन की निगरानी करने का कर्तव्य सौंपा गया है ।]

**21. रिटर्निंग आफिसर**---निर्वाचन आयोग, हर निर्वाचन-क्षेत्र के लिए राज्य सभा में के स्थान या स्थानों को भरने के लिए हर निर्वाचन के लिए और राज्य की विधान सभा के सदस्य द्वारा राज्य की विधान परिषद् में के स्थान या स्थानों को भरने के लिए हर निर्वाचन के लिए, राज्य की सरकार के परामर्श से, एक रिटर्निंग आफिसर पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करेगा जो [1][सरकार का या स्थानीय प्राधिकारी का आफिसर] ही होगा :

परन्तु एक निर्वाचन-क्षेत्र से अधिक के लिए उसी व्यक्ति को रिटर्निंग आफिसर पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करने से निर्वाचन आयोग को इस धारा की कोई बात निवारित न करेगी ।]

**22. सहायक रिटर्निंग आफिसर**---(1) निर्वाचन आयोग किसी रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा :

परंतु हर ऐसा व्यक्ति [1][सरकार का या स्थानीय प्राधिकारी का आफिसर] ही होगा ।

(2) हर सहायक रिटर्निंग आफिसर, रिटर्निंग आफिसर के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, रिटर्निंग आफिसर के सब कृत्यों या उनमें से किसी का भी पालन करने के लिए सक्षम होगा :

परन्तु रिटर्निंग आफिसर के जो कृत्य [2]**** नामनिर्देशनों की संवीक्षा [3]*** से सम्बद्ध हैं उनमें से किसी को कोई सहायक रिटर्निंग आफिसर तब तक न करेगा जब तक कि रिटर्निंग आफिसर उक्त कृत्य को करने से अपरिवर्जनीयतः निवारित न हो जाए।

**23. रिटर्निंग आफिसर के अन्तर्गत रिटर्निंग आफिसर के कृत्यों का पालन करने वाले सहायक रिटर्निंग आफिसर आएंगे**---इस अधिनियम में रिटर्निंग आफिसर के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उस किसी कृत्य का पालन करने वाला सहायक रिटर्निंग आफिसर आता है जिस कृत्य का पालन करने के लिए वह धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत है, यह समझा जाएगा ।

**24. रिटर्निंग आफिसर का साधारण कर्तव्य**---किसी भी निर्वाचन में रिटर्निंग आफिसर का यह साधारण कर्तव्य होगा कि वह वे सब कार्य और बातें करे जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों द्वारा उपबन्धित रीति में निर्वाचन का प्रभावी रूप से संचालन करने के लिए आवश्यक हो।

[4][**25. निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए मतदान केन्द्रों का उपबन्ध**---जिला निर्वाचन आफिसर, निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन से, हर ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र के लिए पर्याप्त संख्या में मतदान केन्द्रों का उपबन्ध करेगा जो सम्पूर्ण या जिसका अधिक भाग उसकी अधिकारिता के भीतर है, और ऐसे उपबन्धित मतदान केन्द्रों को और उन मतदान क्षेत्रों को या मतदाताओं के समूहों को, जिनके लिए वे क्रमशः उपबन्धित किए गए हैं, दर्शित करने वाली सूची ऐसी रीति में, जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे, प्रकाशित करेगा।]

**26. मतदान केन्द्रों के लिए पीठासीन आफिसरों की नियुक्ति**---(1) [5][जिला निर्वाचन आफिसर] हर एक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन आफिसर और ऐसे मतदान आफिसर या ऐसे मतदान आफिसरों को, जैसे वह आवश्यक समझे, नियुक्त करेगा, किन्तु वह किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा जो निर्वाचन में या निर्वाचन की बाबत किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या अन्यथा उसके लिए काम करता रहा है :

परन्तु यदि मतदान केन्द्र से मतदान आफिसर अनुपस्थित है तो पीठासीन आफिसर उस व्यक्ति से भिन्न, जो निर्वाचन में या निर्वाचन की बाबत किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या अन्यथा उसके लिए काम करता रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मतदान केन्द्र में उपस्थित है, पूर्व कथित आफिसर की अनुपस्थिति के दौरान मतदान आफिसर होने के लिए नियुक्त कर सकेगा और जिला निर्वाचन आफिसर को तद्नुसार इत्तिला देगा :

[6][परन्तु यह और भी कि इस उपधारा की कोई भी बात जिला निर्वाचन आफिसर को एक ही व्यक्ति को एक ही परिसर में के एक से अधिक मतदान केन्द्रों के लिए पीठासीन आफिसर नियुक्त करने से निवारित न करेगी ।]

(2) यदि मतदान आफिसर पीठासीन आफिसर द्वारा ऐसा करने के लिए निर्दिष्ट किया जाए तो वह इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए आदेशों के अधीन पीठासीन आफिसर के सब या, किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा ।

---

[1] 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 23 द्वारा "सरकार का आफिसर" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 10 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
[3] 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 10 द्वारा "या मतगणना से" शब्दों का लोप किया गया।
[4] 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 25 द्वारा (14-12-1966 से) धारा 25 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 26 द्वारा (14-12-1966 से) "रिटर्निंग आफिसर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 12 द्वारा अन्तःस्थापित ।

mself from the pollin
y the [1][district electio

deemed to include an
on (3); as the case ma

cer at a polling station

on to assist the presidin

tion Commission.—Th
appointed under this Part
of any election shall b
nd from the date of th
sults of such election and
ence and discipline of th

election [4]* * * to fill a sea
bly of a State to fill a sea
Commission, fix the place a
as the Election Commissio

ppoint such polling officer
employed by or on behalf

political parties.— (1) A
intending to avail itself of
ion as a political party for

Representation of the Pe
cment;

बिन्दु सं-6



(3) यदि पीठासीन आफिसर रुग्णता या अन्य अपरिवर्जनीय हेतुक के कारण मतदान केन्द्र से स्वयं अनुपस्थित रहने के लिए बाध्य हो जाए तो उसके कृत्यों का पालन ऐसे मतदान आफिसर द्वारा किया जाएगा जिसे [1][जिला निर्वाचन आफिसर] ने किसी ऐसी अनुपस्थिति के दौरान ऐसे कृत्यों के पालन के लिए पहले से ही प्राधिकृत किया है ।

(4) इस अधिनियम में पीठासीन आफिसर के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उस किसी कृत्य का पालन करने वाला कोई व्यक्ति आता है जिस कृत्य का पालन करने के लिए वह, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन प्राधिकृत है, यह समझा जाएगा ।

[2]* * * * *

**27. पीठासीन आफिसर का साधारण कर्तव्य**--मतदान केन्द्र में व्यवस्था बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि मतदान ऋजुता से हो मतदान केन्द्र में के पीठासीन आफिसर का साधारण कर्तव्य होगा ।

**28. मतदान आफिसर के कर्तव्य**---मतदान केन्द्र के मतदान आफिसरों का यह कर्तव्य होगा कि वे ऐसे केन्द्र के पीठासीन आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करें ।

[3][**28क. रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन आफिसर, आदि को निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझना**---किसी निर्वाचन के संचालन के लिए रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन आफिसर, मतदान आफिसर और इस भाग के अधीन नियुक्त कोई अन्य आफिसर, और किसी राज्य सरकार द्वारा तत्समय पदाभिहित कोई पुलिस आफिसर, उस अवधि के लिए, जो ऐसे निर्वाचन की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना की तारीख से प्रारंभ होती है और ऐसे निर्वाचन के परिणामों के घोषित किए जाने की तारीख को समाप्त होती है, निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे और तद्नुसार ऐसे आफिसर उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे ।]

**29. कतिपय निर्वाचनों की दशा में विशेष उपबंध**---(1) राज्य सभा में के स्थान या स्थानों को भरने के लिए निर्वाचन के लिए या राज्य की विधान परिषद् में के स्थान या स्थानों को भरने के लिए राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन के लिए [4]*** रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन आयोग के पूर्वानुमोदन से वह स्थान नियत करेगा जहां कि ऐसे निर्वाचन के लिए मतदान होगा और ऐसे नियत स्थान को ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे ।

(2) रिटर्निंग आफिसर ऐसे नियत स्थान में ऐसे निर्वाचन में पीठासीन होगा और अपनी सहायता के लिए ऐसा या ऐसे मतदान आफिसर नियुक्त करेगा जैसे वह आवश्यक समझे, किन्तु वह किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा जो निर्वाचन में या निर्वाचन की बाबत अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या अन्यथा उसके लिए काम करता रहा है ।

[5][**भाग 4क**

## राजनैतिक दलों का रजिस्ट्रीकरण

**29क. संगमों और निकायों का राजनैतिक दलों के रूप में आयोग के पास रजिस्ट्रीकरण**---(1) भारत के व्यष्टिक नागरिकों का कोई संगम या निकाय, जो स्वयं को राजनैतिक दल कहता है और जो इस भाग के उपबंधों का लाभ उठाना चाहता है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राजनैतिक दल के रूप में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए निर्वाचन आयोग को आवेदन करेगा ।

(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन,--

(क) यदि संगम या निकाय लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1989 का 1) के प्रारंभ पर विद्यमान है तो ऐसे प्रारंभ के ठीक आगामी साठ दिन के भीतर किया जाएगा ;

---

[1] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 26 द्वारा (14-12-1966 से) "रिटर्निंग आफिसर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 12 द्वारा (14-12-1966 से) अन्तःस्थापित और 2004 के अधिनियम सं0 2 की धारा 3 द्वारा लोप किया गया ।
[3] 1989 के अधिनियम सं0 1 की धारा 5 द्वारा (15-3-1989 से) अन्तःस्थापित ।
[4] 1956 के अधिनियम सं0 27 की धारा 13 द्वारा "(प्राथमिक निर्वाचन से भिन्न)" शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया गया ।
[5] 1989 के अधिनियम सं0 1 की धारा 6 द्वारा (15-6-1989 से) अन्तःस्थापित ।

# कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001

Email id-ceo _uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) 2713551

election09@gmail.com फोन न0 (0135) 2713552


संख्या–1719 /XXV–12(11)/2018 देहरादून : दिनांक 08 अक्टूबर, 2021

## सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातरंण के लिए प्रपत्र

सेवा में,

1–केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/अनु सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई, दिल्ली

2–समस्त लोक सूचना अधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड।

विषय– **सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–6(3) के अन्तर्गत आवेदन पत्र का हस्तान्तरण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री राजकुमार (एडवोकेट) संयोजक– संविधान बचाओ ट्रस्ट चैम्बर नं0–365 जिला एवं सत्र न्यायालय कैम्पस, उ0प्र0 पिन कोड–247001 का अनुरोध पत्र दिनांक 01–10–2021 जो इस कार्यालय में दिनांक 06.10.2021 को प्राप्त हुआ है की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि अनुरोध पत्र में चाही गयी सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित है, जिनका विवरण निम्नवत है–

| बिन्दु संख्या | अनुरोध पत्र हस्तान्तरित किये जाने वाले लोक सूचना अधिकारी का विवरण |
|---|---|
| 1 | 1–केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/अनु सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई, दिल्ली।<br>2–समस्त लोक सूचना अधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड। |
| 2 | 1–केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/अनु सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई, दिल्ली<br>2–समस्त लोक सूचना अधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड। |
| 3 | 1–केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/अनु सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई, दिल्ली।<br>2–समस्त लोक सूचना अधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड। |
| 4 | 1–केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/अनु सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई, दिल्ली। |
| 5 | 1–केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/अनु सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई, दिल्ली। |
| 6 | 1–केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/अनु सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई, दिल्ली। |
| 7 | 1–केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/अनु सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई, दिल्ली। |
| 8 | 1–केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/अनु सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई, दिल्ली।<br>2–समस्त लोक सूचना अधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड। |

अतः अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है। कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**संलग्न–यथोपरि।**

भवदीय,

B. S. Rawat

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

**पृ0संख्या 1719/XXV–12(11)/2018, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि– 1– श्री राजकुमार (एडवोकेट) संयोजक– संविधान बचाओ ट्रस्ट चैम्बर नं0–365 जिला एवं सत्र न्यायालय कैम्पस, उ0प्र0 पिन कोड–247001

B. S. Rawat

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।